सं0-46/2015/1041/62-2-2015-2/3(9)/2013टीसी

सेवा में,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 24 मार्च,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अधीन आयोजनागत पक्ष में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास में साख-सीमा जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-71/ल0सिं0/बजट-सी0सी0एल0/2014-15, दिनांक 14-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अधीन राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-361-12-3-15-100(64)/2012, दिनांक 11-03-2015 द्वारा प्रश्नगत योजना में स्वीकृत `&3000.00 लाख के सापेक्ष मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-412/ल0सिं0/बजट-रा0कृ0वि0यो0/2014-15, दिनांक 12-03-2015 एवं प0 सं0-417/ल0सिं0/बजट-रा0कृ0वि0यो0/2014-15, दिनांक 14-03-2015 द्वारा आवंटित धनराशि `&2522.35 लाख की साख-सीमा वित्त लेखा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-46/24(2)/98, दिनांक 21-02-2000 के प्रस्तर-2(4) के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में जारी करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-02-2000 की शेष शर्ते तथा प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) सी0सी0एल0 का अन्तरण डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) में किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

(3) जिस प्रयोजन के लिये सी0सी0एल0 जारी की जायेगी उसी मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) सी0सी0एल0 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण कर किसी बैंक/डाकघर खाता, डिपाजिट खाता आदि में नही जमा किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत साख-सीमा की धनराशि आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत होगी।

(6) प्रश्नगत साख-सीमा को वर्तमान वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में नियमानुसार प्रत्येक दशा में उपयोग कर लिया जायेगा।

(7) विभाग यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रत्येक दशा में सी0सी0एल0 दिनांक 25-03-2015 तक निर्गत कर दिया जाय, ताकि कोषागारों की ई-पेमेन्ट की व्यवस्था के कारण शासकीय लेन-देन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

(8) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निर्गत वित्तीय स्वीकृतियां नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निर्गत की गयी है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ए-2-56/दस-15, दिनांक 24-03-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

–

भवदीय,

ह0/

(चन्द्र प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

<u>सं0-46/2015/1041(1)/62-2-2015, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/नई दिल्ली।

4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

7- वित्त लेखा अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in